उत्तर प्रदेश शासन

वन अनुभाग-1

संख्या:-15 /492/14-1-2015-300(04)/95

लखनऊ दिनांक 03 मार्च, 2015

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय श्री टी0पी0 दुबे, भा0व0से के दिनांक 31.01.2015 को सेवानिवृत्ति की तिथि के पूर्व उन्हें उपार्जित/अर्द्धवेतन अवकाश के दृष्टिगत देय 300 दिन के उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकदीकरण की अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-20(ए) (1) के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त व्यय अनुदान संख्या:-62 के लेखा-शीर्षक-2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ (आयोजनेत्तर)-01-सिविल-115-छुट्टी नकदीकरण हित लाभ-03-सेवानिवृत्ति के समय अवकाश का नकदीकरण-01-दिनांक 08 नवम्बर, 2000 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश का नकदीकरण-33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ-02-दिनांक 08 नवम्बर, 2000 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश का नकदीकरण-33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ के नामे डाला जायेगा।

सुरेश कुमार पाण्डेय

उप सचिव

<u>संख्या:- 492 (1)/14-1-2015तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री टी0पी0 दुबे, भा0व0से0 (से0नि0) द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।

3- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।

5- कम्प्यूटर सहायक, वन अनुभाग-1 को बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम रतन)

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in